अपील संख्या एस–02 / 1334 / ए / 2024

श्री योगी एमपी सिंह बनाम ज0सू0अधि0 कार्यालय चिकित्सा एवं निदेशालय लखनऊ।

समक्ष– श्री सुधीर कुमार सिंह, मा0 राज्य सूचना आयुक्त उ0प्र0।

आदेश

पत्रावली प्रस्तुत हुई। पुकार करायी गई। अपीलार्थी उपस्थित नहीं हुए। विपक्षी जन सूचना अधिकारी की ओर से उनके प्रतिनिधि श्री संजय कुमार कनिष्ठ सहायक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं लखनऊ उपस्थित हुए। **संक्षेप में प्रकरण इस प्रकर है कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के तहत प्रस्तुत मूल आवेदन पत्र दिनांक 18.06.2024 के माध्यम से जन सूचना अधिकारी से सूचनाएं मांगी गयी थीं, तथा उनको समयान्तर्गत सूचना प्राप्त न होने पर दिनांक 06. 08.2024 को प्रथम अपील की गयी। चूँकि प्रथम अपीलीय अधिकारी के स्तर से उत्तर न मिलन पर अपीलार्थी द्वारा दिनांक 30.09.2024 को राज्य सूचना आयोग में द्वितीय अपील दर्ज की गयी। जिसके कम में आयोग द्वारा दिनांक 14.10.2024 को नोटिस जारी की गयी।**

आज विपक्षी जन सूचना अधिकारी के प्रतिनिधि द्वारा लिखित अभिकथन प्रस्तुत किया गया जिसमें उल्लेख है कि डॉ0 प्रदीप कुमार यादव, फिजीशियन, महाराजा चेत सिंह जिला चिकित्सालय, ज्ञानपुर भदोही, के विरूद्ध छोटे लाल बिन्द बरौत, जनपद प्रयागराज में प्राईवेट प्रैक्टिस किये जाने के आरोप में प्रथम दृष्टया दोषी पाये जाने के दृष्टिगत उनके विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही करते हुए अपर निदेशक मिर्जापुर मण्डल मिर्जापुर को जांच अधिकारी नामित किया गया है, जांच प्रचलित है। जांच आख्या प्राप्त होने पर तदनुसार कार्यवाही की जायेगी, जिसकी सूचना अपीलार्थी को पंजीकृत डाक से दिनांक 23.10.2024 को प्रेषित की जा चुकी है, जिसकी एक प्रति प्रस्तुत की गयी, जिसे पत्रावली पर रखा गया है। अपीलार्थी के सूचना सम्बन्धी मूल आवेदन पत्र के कम में विपक्षी जन सूचना अधिकारी द्वारा दी गयी सूचना का अवलोकन किया गय और पाया गया कि विपक्षी जन सूचना अधिकारी द्वारा दी गयी सूचनाएं प्रथम दृष्टया पूर्ण एवं पर्याप्त है। ऐसे में प्रकरण को आयोग के समक्ष लम्बित रखने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। तद्नुसार वाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

23.10.2024

रामानुज सिंह

प्रेषक,

मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
भदोही।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

पत्रांकः मु0चि0अ0/डा0 प्रदीप कुमार, चि0अ0/कार्यवाही/2023/512 दिनांक 31.01.2024

विषयः श्री जय चन्द मौर्या, निवासी ग्राम मनौवा पोस्ट खमरिया जनपद मिर्जापुर के द्वारा डा0 प्रदीप कुमार, फीजिशियन, महाराजा चेतसिंह जिला चिकित्सालय ज्ञानपुर जनपद भदोही की गयी शिकायत की जॉच के आधार पर कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आई0जी0आर0एस0 सन्दर्भ संख्या 60000230177675, 60000230177663, 6000030177667, 60000230177799, 6000030177498 श्री जयचन्द्र मौर्य, निवासी ग्राम मनौवा, पोस्ट खमरिया जनपद मिर्जापुर के द्वारा डा0 प्रदीप कुमार यादव, फिजिशियन महाराजा चेतसिंह जिला चिकित्सालय ज्ञानपुर की गयी शिकायत है कि छोटे लाल बिन्द हॉस्पिटल बरौत जनपद प्रयागराज में प्राईवेट प्रैक्टिस करते है जिसके निस्तारण हेतु दो जनपद स्तरीय जांच अधिकारी डा0 जे0सी0 सरोज, अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जनपद भदोही एवं डा0 ए0के0 मौर्य, उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी जनपद भदोही को नामित किया गया, जांच के दौरान प्रार्थी द्वारा अपने उपलब्ध कराये गये साक्ष्यों में डा0 पी0के0 यादव (फिजिशियन) का नाम पट्टिका लगा हुआ था, **(छायाप्रति संलग्न)** परन्तु जांच अधिकारी द्वारा दिनांक 11.11.2024 को जांच करायी गयी तो डा0 पी0के0 यादव (फिजिशियन) के नाम पट्टिका नहीं पाया गया **(छायाप्रति संलग्न)**, हास्पिटल पर उपस्थित पैरामेडिकल स्टाफ द्वारा बताया गया कि डा0 पी0के0 यादव को दिखाने के लिये जब मरीज आते है तो उनको फोनकॉल करके बुला लिया जाता है, उक्त कथन एवं जांच अधिकारी द्वारा प्रेषित जांच रिपोर्ट से यह स्पष्ट होता है कि डा0 पी0के0 यादव (फिजिशियन), छोटे लाल बिन्द हॉस्पिटल बरौत जनपद प्रयागराज में प्राईवेट प्रैक्टिस करते है।

छोटे लाल बिन्द हॉस्पिटल बरौत जनपद प्रयागराज, मुख्य चिकित्सा अधिकारी प्रयागराज के अधीन आता है, जिसके कारण डा0 यादव एवं मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, महाराजा चेतसिंह, जिला चिकित्सालय ज्ञानपुर जनपद भदोही द्वारा उपरोक्त जांच में कोई सहयोग नहीं किया जा रहा है।

कृपया महोदय से अनुरोध है कि उपरोक्त जॉच रिपोर्ट का अवलोकन कर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करे।

भवदीय

संलग्नकः संख्या–13

90

(डा0 एस0के0 चक)
मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
भदोही।

पत्रांकः मु0चि0अ0/डा0 प्रदीप कुमार, चि0अ0/कार्यवाही/2023/512 तद्दिनांक

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश।
2. अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विन्ध्याचल मण्डल मीरजापुर।
3. जिलाधिकारी भदोही।

(डा0 एस0के0 चक)
मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
भदोही।

90

मैं जयचन्द मौर्य पुत्र स्व० राजाराम मौर्य निवासी-
ग्राम सभा- मनैतां, पोस्ट- जमालपुर, थाना- चिल्ह,
तहसील- सदर, परगना- कन्तित, जनपद- मीरजापुर,
उ०प्र०, मो० नं० 8090306360 श्रीमती mp सिंह
को अधिकृत करता हूँ। मेरी ओर से मेरी पत्नी
के सम्बन्ध में सम्बन्धित लोक प्राधिकारियों को
RTI आवेदन व प्रत्यावेदन प्रस्तुत करने के
लिए अधिकृत हैं। उनको प्रकरण में थर्ड
पार्टी न समझा जाए।

Date- 23/Sep/2024

जयचन्द मौर्य
पुत्र स्व० राजाराम मौर्य
mo. 8090306360

प्रेस–विज्ञप्ति

आज दिनांक 14.11.2024 को जिलाधिकारी प्रयागराज के निर्देश के क्रम में श्री जयचन्द्र मौर्या की शिकायत पर उप जिलाधिकारी हण्डिया के नेतृत्व में अपर मुख्य चिकित्सा पंजीकरण की टीम द्वारा सर्वप्रथम हण्डिया स्थित छोटे लाल एण्ड ट्रामा सेण्टर बरौत, हण्डिया, प्रयागराज का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय श्री जयचन्द्र मौर्य द्वारा की गयी शिकायत का संज्ञान ग्रहण करते हुए उससे सम्बन्धित आवश्यक अभिलेखों का निरीक्षण/परीक्षण किया गया। तदोपरान्त जॉच प्रक्रिया को अग्रसर रखते हुए अतिशीघ्र जॉच कर रिपोर्ट जिलाधिकारी महोदय को प्रेषित कर दी जाएगी। टीम द्वारा पुनः जीवन शक्ति चैरेटेबुल हास्पिटल रामनाथी नब्बे चौराहा भीटी का निरीक्षण श्री श्याम सुन्दर बिन्द की शिकायत पर की गयी। निरीक्षण के समय आवश्यक अभिलेख नहीं दिखाये गये जिसके कारण उन्हें मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में समस्त आवश्यक अभिलेखों सहित उपस्थित होने हेतु नोटिस दिया गया। तदोपरांत टीम द्वारा श्री मनोज कुमार सिंह के आई0जी0आर0एस0 पोर्टल पर की गयी शिकायत के आधार पर अवैध क्लीनिक का संचालन कर रहे डा0 विजान ठाकुर पंकज नगर चौराहा का क्लीनिक सील कर दिया गया। टीम द्वारा हण्डिया में स्थित नन्दनी हॉस्पिटल एण्ड सर्जिकल सेण्टर का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय कोई चिकित्सक/पैरामेडिकल स्टाफ नहीं पाये गये। मौके पर श्रीमती प्रतिभा पत्नी विजय शंकर का सीजर किये हुए भर्ती पायी गयी। बार–बार पूछने पर भी चिकित्सक के बारे में जानकारी नहीं उपलब्ध करायी गयी और न ही हॉस्पिटल पंजीकरण से सम्बन्धित फेरो/फायर/पालुशन का पेपर दिखया गया, जिसके कारण हॉस्प्टिल के ओ0पी0डी0 को सील करते हुए हॉस्पिटल के पंजीकरण को निलम्बित कर दिया गया।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
प्रयागराज।

कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, प्रयागराज।

पत्रांक–मु0चि0अ0/शिका0/जॉच/2024–25/6681 दिनांक 14.11.2024

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. जिला सूचना अधिकारी, कलेक्ट्रेट प्रयागराज को इस अनुरोध के साथ कि उक्त का प्रकाशन जनपद के समस्त दैनिक समचार पत्रों में कराने का कष्ट करें।

2. सम्पादक, समस्त दैनिक समाचार पत्र जनपद प्रयागराज को इस अनुरोध के साथ कि उपरोक्त प्रेस नोट को अपने समाचार पत्र में दिनांक 15.11.2024 के संस्करण में निःशुल्क प्रकाशित करने का कष्ट करें।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी,